IV/1

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

INDIA N[illegible]ICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 059998

न्यास पत्र (Trust Deed)

यह सार्वजनिक न्यास { ट्रस्ट } का अनुबन्ध पत्र **(Deed of Public Trust,)** आज दिनांक 19--11--2015 को श्री शलभ कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल आयु 38 वर्ष, वर्तमान पता – आर डी सी – 57, राजनगर, जनपद गाजियाबाद द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

मै शलभ कुमार अग्रवाल **(Settler)** सर्वसाधारण के हितार्थ विशेष रूप से अपने समाज के कमज़ोर उपेक्षित निर्धन वर्ग की सेवा के भाव से एक सार्वजनिक धमार्थ न्यास का निमार्ण कर रहा हूँ।

इस निमित्त में अपने पास से रूपये 10,000/– { दस हजार } मात्र देकर न्यास का निमार्ण करता हूँ।

इस पुनीत कार्य में मैं निम्न बन्धुओ को प्रन्यासी मनोनीत करता हूँ:–

1. श्री शलभ कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, पता – आर डी सी – 57, राजनगर, जनपद गाजियाबाद 201002।
   पेन कार्ड सं0 – AEWPA0543C (Mob.No.-09891455880)
   DL- No —— UP/14 20140007342
2. श्रीमति सारिका अग्रवाल पत्नी श्री शलभ कुमार अग्रवाल, पता – आर डी सी – 57, राजनगर, जनपद गाज़ियाबाद – 201002।
3. श्री अजय मित्तल पुत्र स्व0 श्री विनोद मित्तल, पता – 34/160, खातीपाड़ा लोहा मण्डी, आगरा –282002।

8024 / 5.1.2016 श्री [illegible] श्री रामकुमार [illegible] पुत्र श्री [illegible] कुमार -
- [illegible] नि॰ R.D.C.-57 राजनगर जि॰ गा॰बाद

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता लाo नंo-71/277
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 059999

यही ट्रस्टीगण ट्रस्ट के प्रथम एवं मुख्य प्रन्यासी मण्डल के सदस्य माने जायेगें। अतः इस अनुबन्ध पत्र के माध्यम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास { ट्रस्ट } की घोषणा करता हूँ इस न्यास की शर्तें तथा नियम (Terms and Conditions) निम्न रहेंगे:–

{1} इस न्यास { ट्रस्ट } का नाम श्री कृष्ण कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट (**Shri Krishan Kumar Charitable Trust**) रहेगा।

{2} न्यास { ट्रस्ट } का पंजीकृत कार्यालयः (Maa Bhagwati Sadan, Raje Babu Road, Behind TVS Showroom Distt. Bulandshahr-203001) रहेगा।

{3} उपरोक्त आकांक्षा की पूर्ति निमित्त तथा ट्रस्ट के सार्वजनिक एवं धर्मार्थ उददेश्यों (Charitable and Relegious Objects) जो नीचे उदधृत किये जा रहे हैं कि पूर्ति हेतु एवं न्यास का कार्य चलाने निमित्त न्यास के निर्माण कर्ता ने 10,000/– { दस हजार } मात्र जो राशि दी है वह ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी, इस सम्पत्ति को किसी दशा मे वापस नहीं लिया जा सकेगा ।

{4} ट्रस्ट का कोष : उपरोक्त रूपये 10,000 /– { दस हजार } के साथ अन्य सहयोगी राशियां दान, भेंट, ब्याज, किराया अन्य किसी प्रकार की आय जो न्यास को समय–समय पर प्राप्त होगी ट्रस्ट का कोष मानी जायेगी।

8025
5.1.2016 श्री lw 8024

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

न्यास पत्र

10,000.00	200.00	100	300.00	32
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री शलभ कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी आर0डी0सी0 57 राजनगर जनपद गाजियाबाद
अस्थायी पता आर0डी0सी0 57 राजनगर जनपद गाजियाबाद
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 5/1/2016 समय 2:36PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत कुमार (प्रभारी)
उपनिबन्धक प्रथम
बुलन्दशहर
5/1/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री शलभ कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी आर0डी0सी0 57 राजनगर जनपद गाजियाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान अमरदीप सिंह
कुशलपाल
पेशा अन्य
निवासी ई0डब्लू0एस0 99 आवास विकास 2 बुलन्दशहर

व राजकुमार
कृपाल सिंह
पेशा अन्य
निवासी दूसरी तहसील शिकारपुर जि0बुलन्दशहर

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

पहचान पत्र लेखपत्र अनुसार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत कुमार (प्रभारी)
उपनिबन्धक प्रथम
बुलन्दशहर
5/1/2016

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 060000

{5} ट्रस्ट का उददेश्य : प्रन्यासीगण भारत में सर्वसाधारण के हितों के लिए न्यास की सम्पत्ति और न्यास की आय का उपयोग करेगें। न्यास द्वारा चलने वाले सेवा कार्यों में किसी नागरिक से उसके सम्प्रदाय, जाति, पन्थ, रंग आदि के कारण भेद नही किया जा सकेगा और ना ही किसी विशेष पंथ, सम्प्रदाय के हितों के लिए कार्य किया जायेगा। न्यास के कार्यों का उददेश्य किसी भी प्रकार आर्थिक लाभ अर्जन करना नहीं होगा वरन् समस्त कार्य सेवाभाव से ही किये जायेंगे।

{6}– <u>मुख्य मूल उद्देश्य :</u>

6.1) समाज में शिक्षा के विकास के लिये कार्य करना। इस निमित्त विद्यालय, कोचिंग कक्षायें, प्रावैधिक { टैक्नीकल } शिक्षा केन्द्र, छात्रावास, शिक्षा पर गोष्ठियां, अध्यापक शिक्षण वर्ग आदि चलाना अथवा इनको सुचारू रूप से चलाने मे अन्य सम उद्देश्य वाली संस्थाओ का सहयोग करना, उनकी आर्थिक सहायता करना, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

6.2) संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति में सहायक व्यक्तियों, संस्थाओं को आर्थिक, नैतिक सहयोग देना तथा उनसे प्राप्त करना। तथा सभी कार्य करना जो न्यासी मंडल की दृष्टि में न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

6.3) कमजोर वर्ग व अनाथ बच्चों के शिक्षा उत्थान एवं पालन पोषण में सहयोग करना।

0026
5.1.2016 बही 4 — 0024

सजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

न्यासी

Registration No.: 1 Year : 2,016 Book No. : 4

0101 शलभ कुमार अग्रवाल

कृष्ण कुमार अग्रवाल

आर0डी0सी0 57 राजनगर जनपद गाजियाबाद

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 940001

15 DEC 2015

{7} सहायक कार्यवश उद्देश्य :

संस्थान के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक उद्देश्य निम्न है :–

7.1) पर्यावरण –समाज को दूषित होते पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए गोष्ठियां करना, पेड़ इत्यादि लगाना आदि।

7.2) जल संचयन -- गिरते हुए भूजल को रोकने हेतु प्रयास करना जिसके लिए समाज को जागरूक करना। जल संचयन के लिए समाज में जागरूकता लाना एवं इस हेतु सुविधाऐं प्रदान करना।

7.3) नारी सशक्तिकरण – समाज में नारी सशक्तिकरण हेतु जागरूकता लाना जिसके लिए नारी समूह बनाना एवं उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना आदि।

{8} संस्थान का प्रबन्ध एवं संचालन :

8.1) संस्था का मुख्य प्रन्यासी मण्डल संस्था के कोष एवं संचालन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

8.2) मुख्य प्रन्यासी मण्डल अपने में से दो सदस्यीय कार्यसमिति (Managing Committee) का गठन करेंगें। जिसमें एक अध्यक्ष एवं एक सचिव रहेंगे।

8.3) श्री शलभ कुमार अग्रवाल संस्था के आजीवन अध्यक्ष रहेंगे।

8.4) कार्यसमिति का प्रथम कार्यकाल तीन {3} वर्ष रहेगा तदोपरांत इसका कार्यकाल दो {2} वर्ष रहेगा।

8027 / 5.1.2016 को 1(w) 8024

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

गवाह

Registration No.: 1 Year : 2016 Book No. : 4

W1 अमरदीप सिंह

कुशलपाल

ई0डब्लू0एस0 99 आवास विकास 2 बुलन्दशहर

अन्य

W2 राजकुमार

कृपाल सिंह

ढूसरी तहसील शिकारपुर जि0बुलन्दशहर

अन्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

15 DEC 2015

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CR 940002

8.5) प्रथम कार्यसमिति के सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किये जायेंगे तदोपरांत कार्यसमिति के सदस्यों {अध्यक्ष को छोड़कर} का चुनाव मुख्य प्रन्यासीमण्डल द्वारा किया जायेगा।

8.6) कार्यसमिति का चयन केवल मुख्य प्रयान्सी मण्डल में से ही किया जायेगा।

8.7) मुख्य प्रान्यासी मंडल में कोई स्थान रिक्त होने की दशा में शेष मुख्य प्रन्यासीगण सर्वसम्मति से उस स्थान की पूर्ति, उस प्रन्यासी के परिवार से एक व्यक्ति को मनोनीत करके अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति से कर सकेगें। लेकिन किसी भी विशेष परिस्थितियों में प्रन्यासी को हटाने का अधिकार अध्यक्ष का होगा।

8.8) न्यास के मुख्य प्रन्यासी मंडल में प्रन्यासीगण संस्थान के हितों को दृष्टिगत रखकर किन्हीं लोगों को सर्वसम्मति से ही साधारण प्रन्यासी मनोनीत कर सकेगें ऐसे मनोनीत प्रन्यासी को मुख्य प्रन्यासियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। किसी भी दशा में प्रन्यासी मंडल के सदस्यों के संख्या 11 से अधिक नहीं होगी।

8.9) मुख्य प्रन्यासी मण्डल के दो तिहाई 2/3 बहुमत पर ही किसी साधारण प्रन्यासी को मुख्य प्रन्यासी बनाया जा सकेगा।

8.10) कार्यसमिति के कार्यकाल के मध्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति अध्यक्ष द्वारा मुख्य प्रन्यासी मण्डल में से किसी एक सदस्य को नामित करके की जायेगी।

8.11) किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एंव सर्वमान्य होगा।

8028
5.1.2016

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
लघु रजि० आफिस, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CR 940003

{9} <u>कार्यसमिति न्यास एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थानों के संचालन के लिये पुर्णरूप से अधिकृत होंगी एवं कार्यसमिति के दायित्व एवं अधिकार निम्न होंगे</u> –

9.1) <u>अध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार :</u>

क. न्यास एवं न्यास से सम्बंधित संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना एवं लागू करना।

ख. बैठको की अध्यक्षता करना।

ग. न्यास के कार्यो हेतु शासन, प्रशासन एवं सम्बंधित संस्थाओं में न्यास का प्रतिनिधित्व करना।

घ. न्यास के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्णकालिक/ अंशकालिक व्यक्तियों को नियुक्त करना एवं उनका पारिश्रमिक एवं मानदेय निश्चित करना आदि।

ड़. न्यास के हिसाब किताब को उचित ढंग से रखना। हिसाब–किताब से सम्बन्धित सम्पूर्ण आलेखों को भी उचित ढंग से रखना तथा प्रति वर्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार से हिसाब किताब का अंकेक्षण कराकर प्रन्यासी मंडल के समक्ष रखना।

च. बैंक अथवा अन्य संस्थाओ के व्यक्तियों से न्यास कार्य हेतु संपर्क रखना एवं धनराशि की व्यवस्था करना।

छ. समय–समय पर कार्यसमिति अथवा प्रन्यासीमंडल को वित्त से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध कराना।

8029
5.1.2016 को [illegible] 8024

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 940004

9.2) <u>सचिव के दायित्व एवं अधिकार :</u>

क. अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार समय–समय पर कार्यसमिति एवं प्रन्यासीमंडल की बैठक बुलाना।

ख. बैठक की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना।

ग. बैठक में रखे प्रस्तावों एवं सुझावों हेतु आवश्यक प्रपत्र संकलित करना।

घ. न्यास के द्वारा या न्यास के विरूद्ध चलने वाले न्यायिक कार्यों की पैरवी करना अथवा इस हेतु किसी को अधिकृत करना।

ड़. न्यास के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु न्यास हित में निर्णय लेना एवं न्यास एवं न्यास से सम्बंधित संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना।

च. समय–समय आहुत कार्यसमिति की बैठकों में उपस्थित रहना।

छ. न्यास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सुझाव रखना।

ज. अध्यक्ष द्वारा दिये गये कार्यों को पूर्ण करना आदि।

{10} <u>संस्था के उपरोक्त कार्यों को सुचारू रूप से चलाने तथा न्यास के समूचित प्रबन्धों के लिए मुख्य प्रन्यासी मंण्डल को निम्न अधिकार होगें:</u>

10.1 संस्था के धन का उपयोग संस्थान के समस्त उद्देश्यों अथवा किसी एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यय करने का अधिकार होगा संस्थान के शेष अतिरिक्त धन का विनियोग आयकर कानून 1961 के अनुसार किया जायेगा।

8030 / 5.1.2016 को Lay – व 8024

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

15 DEC 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 940005

10.2 संस्थान के लिये दान, भेंट में धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त कर उसको पूँजी के रूप में प्रयोग करना अथवा संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करना।

10.3 संस्थान की सम्पत्ति को किराये, लीज आदि पर देना। चल–अचल, दर्शनीय –अदर्शनीय, सम्पत्ति के सम्पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों उनसे प्राप्त लाभों तथा उनकी व्यवस्था का अधिकार होगा। संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु न्यास की किसी भी सम्पत्ति को बेचना आदि।

10.4 संस्थान के कोष को मुख्य प्रन्यासी मंडल के निर्देशानुसार समय–समय पर विनियोग करना, उसको निकालना, दूसरे स्थान पर विनियोग करना एवं विनियोग धन को वापिस प्राप्त करना आदि।

10.5 किसी भी प्रकार के विवाद में आवश्यकतानुसार निर्णय लेना एवं विवाद हल न होने पर या न्यास के समापन पर न्यास की सम्पत्ति को मुख्य प्रन्यासी मण्डल के बहुमत से केवल समउद्देश्य वाली पंजीकृत संस्था को ही हस्तान्तरित करना।

10.6 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतू बैंक, संस्था, व्यक्ति, प्रन्यासीगण एवं कम्पनियों से ऋण प्राप्त करना एवं इस निमित्त संस्था की जमीन जायदाद को गिरवी, रहन रखना आदि।

10.7 कार्यसमिति न्यास के संचालन के लिये पुर्ण रूप से अधिकृत होंगी एवं कार्यसमिति के समस्त सदस्य अपने पदों के अनरूप अपने–2 दायित्वों का निर्वाह करेंगे।

0031 / 5.1.2016 ... 0024

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 940006

10.8 कार्य समिति संस्थान के दिन–प्रतिदिन के उचित प्रबन्ध के लिए आवश्यकतानुसार किसी योग्य व्यक्ति को पूर्णकालिक/अंशकालिक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकेगा। एडमिनिस्ट्रेटर के कार्यकाल तथा वेतन/मान–धन और उसके कार्य से स्वयं तथा दायित्व का निश्चय प्रन्यासी मंडल करेगा।

10.9 न्यास का धन किसी राट्रीयकृत/सहकारी/शडयूल्ड बैंक में रखा जायेगा। खाते के संचालन का अधिकार न्यास के अध्यक्ष का रहेगा।.

10.10 कार्य समिति संस्थान के हिसाब की जांच के लिए निश्चित अवधि के लिए सनदी लेखाकार के नियुक्ति करेगा तथा उसके कार्य के लिए पारिश्रमिक मानधन भी निश्चित करेगा।

10.11 संस्था को हुई हानि के लिए कोई प्रन्यासी अथवा प्रन्यासी मंडल का पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से तब तक उत्तरदायी नही माना जायेगा जब तक यह सिद्ध नही होगा कि उसने निहित स्वार्थवश जानबूझकर संस्था को हानि पहुँचायी है।

10.12 संस्था के नियमों आदि की परिभाषा के सन्दर्भ में उत्पन्न विवाद मे न्यास के अध्यक्ष का निणर्य सभी को मान्य होगा और अन्तिम होगा।

10.13 संस्था के किसी भी कार्य में उत्पन्न होने वाले विवाद में वर्तमान अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

10.14 आजीवन अध्यक्ष श्री शलभ कुमार अग्रवाल की मृत्यु के पश्चात् अध्यक्ष का चुनाव मुख्य प्रन्यासीमण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा एवं इनका कार्यकाल भी दो (2) वर्ष रहेगा।

8032
5.1.2016 को lay — 8024

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
उप रजि० आफिस, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 940668

10.15 किसी भी विवाद की दशा में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

{11} सदस्यता समाप्ति : निम्न कारणों से किसी प्रन्यासी की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

11.1 त्याग–पत्र देने तथा उसके स्वीकृत होने पर अथवा मृत्यु होने पर।

11.2 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर अथवा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित होने पर।

11.3 पागल घोषित होने पर।

11.4 न्यास के हितों के विपरीत कार्य करने पर मुख्य प्रन्यासी मंडल द्वारा उनके 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित होने पर।

11.5 अध्यक्ष द्वारा हटाये जाने पर।

{12} न्यास के समस्त सम्पत्ति और आय का उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा लाभांश, सुविधा, अनुग्रह आदि के रूप में अथवा संस्थान की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के किसी भी अंश मात्र को भी प्रन्यासीगणों को ना तो प्रदान और ना ही स्थान्तरित किया जा सकेगा। आयकर अधिनियम और देश के कानून के अनुसार माने जाने वाले निहित स्वार्थो (Interested Persons)

८०३३ / ५.१.२०१८ को ... ८०२४

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं०-71/277
लघु दलिल आफिस, मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 095427

वाले लोगों को भी यह नहीं हो सकेगा परन्तु संस्थान की उसके हितार्थ सेवा करने वाले कर्मचारियों, अन्य व्यक्तियों तथा प्रन्यासी गणों को सेवा कार्य के आधार पर समय–समय पर वेतन पारिश्रमिक आदि प्रदान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा इस वेतन पारिश्रमिक का निणर्य किये गये कार्य तथा कार्य करने वाले की योग्यता के आधार पर समय समय पर कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।

{13} न्यास भंग होने पर :

मुख्य प्रन्यासी मंडल द्वारा उनके 2/3 प्रन्यासीगणों के निर्णय से न्यास {ट्रस्ट} को भंग किया जा सकेगा। न्यास भंग होने पर न्यास की समस्त देनदारियों का भुगतान करने के उपरान्त शेष धन तथा चल–अचल सम्पत्ति को किसी दूसरी अथवा अनेक समान उद्देश्य वाली संस्थाओं को प्रदान किया जायेगा। इसका निणर्य भी कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से किया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान की सम्पत्ति को प्रन्यासी मंडल के सदस्यों में नही बांटा जा सकेगा।

{14} उत्तर प्रदेश शासन की राजाज्ञा संख्या–2762/15–13–91–41461/91 दिनांक 31/11/1991 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रतिबन्धो को स्वीकार कर लिया गया है।

8034 / 5.1.2016 को 54 से 8034

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 097790

प्रतिबन्ध निम्नलिखित है:-

1. विद्यालय की प्रबन्धन समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
2. विद्यालय मे कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चो के लिये सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यममिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओ के लिये निधारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पुर्व में विद्यालय माध्यममिक शिक्षा परिषद से या बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यममिक शिक्षा परिषद/कॉसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्ति होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. संस्था शैक्षिक एवम शिक्षणोत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

8035
5.1.2016 बही 54 जिल्द 8026

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AY 097791

5. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त प्रशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियो की अनुमान्य सेवा निव्रत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
6. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी।
7. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा।
8. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नही किया जायेगा।

उक्त सभी क्र0सं0 1 से 8 तक प्रतिबन्धो को संस्था के विधान में सहर्ष सम्मिलित किया जाता है।

{15} बैठक :

1. प्रन्यासी मंडल की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अवश्य होगी।
2. कार्यसमिति की वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक अवश्य होगी।

8036
5.1.2016 ... Sg → 8024

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
[illegible], बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AY 097792

विशेष : ट्रस्ट और न्यास तथा ट्रस्टी और प्रन्यासी पर्यायवाची शब्द है।

अतः इस अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर मैं इस न्यास की घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर

साक्षी :

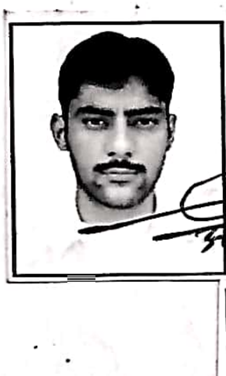

1. अमरदीप सिंह पुत्र श्री कुशलपाल
नि0– ई.डब्ल.एस.–99, आवास विकास–2 बु0शहर
आधार सं0 – 3045 1287 2775
मो0नं0 – 7417307533

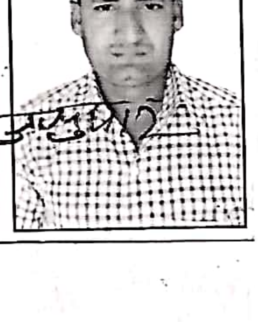

2. राजकुमार पुत्र श्री कृपाल सिंह
नि0– ग्रा0 ठूसरी तह0 शिकारपुर जिला0 बु0शहर
शस्त्र ला0सं0 – 6110/2011
मो0नं0 – 9627192750

स्थान : बुलन्दशहर।
दिनांक : 05–01–2016
मसौदा निगार – देवऋषि शर्मा द0ले0 रजि0 बुलन्दशहर, ला0नं0 – 52

8037
5.1.2016 ... 8024

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-71/277
[illegible]

आज दिनांक **05/01/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **283**

पृष्ठ सं. **285** से **316** पर कमांक **1**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत कुमार (प्रभारी)

उपनिबन्धक प्रथम

बुलन्दशहर

5/1/2016

IV/90

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

SEP 2018

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AA 140793

आवेदन सं०--201800746021614

Second Trust Deed

Stamp: Rs. 800

Name of Trust	Shri Krishan Kumar Charitable Trust, Bulandshahr
Registered Office	F 18 Yamuna Puram Bulandshahr

This Amendment is made at bulandshahr on this 16th Day of October 2018 by Mr. Shalabh Kumar Agrawal S/o Shri Krishan Kumar Agarwal R/o RDC-57, Raj Nagar, Ghaziabad (Aadhar Card No.-2676 0829 5329) (Mobile No.- 9899445880) To give effect the resolution passed on dated 17.08.2018.

5187
15.10.2018 [illegible]

[illegible]

[illegible]

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं०-71/277
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 183402

WHEREAS a public charitable Trust by name SHRI KRISHAN KUMAR CHARITABLE TRUST was brought into existence on 05.01.2016, by means of a Deed of Trust, registered vide Bahi No. 4 Jild No. 283 Page No 285 to 316 Serial No 1 in the office of the Sub Registrar, Bulandshahr.

WHEREAS the trustee of original trust deed Shri Ajay Mittal S/o Late Shri Vinod Mittal R/o 34/160 Katipada, Loha Mandi, Agra (282002) has expressed his unwillingness in working as a trustee of the trust due to his personal reasons and submitted his resignation in the trust meeting. His resignation was accepted by the trustees and he was relieved from the trust and its duties with immediate effect.

WHEREAS the settler of original trust Mr. Shalabh Kumar Agrawal has emphasized on the need to include more members in the trust for the smooth functioning of the trust after the resignation of Shri Ajay Mittal.

5188
15.10.2018 ... 5187

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता लाइ० सं०-71/277
सब रजिस्ट्री आफिस, बुलन्दशहर

न्यास पत्र

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क - 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री शलभ कुमार अग्रवाल,
पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: आर0डी0सी0-57, राजनगर गाजियाबाद।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 16/10/2018 एवं 10:46:50 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शची कुमारी
उप निबंधक :सदर प्रथम
बुलन्दशहर
16/10/2018

हरिओम शर्मा .
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BT 183403

WHEREAS the names of Shri Neeraj Kansal S/o Shri Jai Gopal Kansal R/o House No. 209, Pucca Bagh, Hapur And Shri Kamal Kumar Agrawal S/o Shri Rajendra Kumar R/o 59, Saray Pukhta, Shikarpur, Bulandshahr (Uttar Pradesh) was proposed as the new trustees of the trust. This Propsal was accepted in the trust meeting and Shri Neeraj Kansal and Shri Kamal Kumar Agarwal were nominated as the trustees of the trust.

WHEREAS the trust has 10,000/- Rs. as cash. Except this trust has no moveable and unmoveable property.

NOW THIS CODICIL/AMENDMENT OF THE TRUST DEED WITHNESSETH AS FOLLOWS:

1. Clause 2 of Original Trust deed regarding registered office of the trust has been amended due to shifting of office from Maa Bhagwati Sadan, raje babu road, behind tvs showroom distt bulandshahr to F 18 Yamuna Puram Distt bulandshahr 203001.

S 189
15.10.2018 को Sy S 189

संतोष कुमार
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नं०-71/277
सदर तहसील आफिस, बुलन्दशहर

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री शलभ कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल

निवासी: आर0डी0सी0-57, गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, पुत्र श्री वेदप्रकाश शर्मा

निवासी: डी-19, यमुनापुरम, नगर बुलन्दशहर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री अंकित, पुत्र श्री अमरपाल

निवासी: काजीपुरा, जिला बुलन्दशहर।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

शची कुमारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
बुलन्दशहर

हरिओम शर्मा
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 183404

2. With reference to change in clause 10.9 of original trust deed thad the bank accounts of Trust will be opened by Chairman and Secretary jointly. The Bank accounts of the schools/Institutes of the trust will be operated by either jointly or serverally by Chairman or Secretary as per the resolution passed in the board of trust.

3. A new clause 10.16 has been inserted as under-
The trust can borrow the fund from any bank/financial institutions/ person on the terms and conditions which deems fit in favor of the trust by the Chairman/Secretary and for this purpose documents will only be executed by the chairman and secretary jointly.

5190
15.10.2018. क्रीड्ड - 5187

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं०-71/277
सब रजि० ऑफिस, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 183405

I Shalabh Kumar Agrawal S/o Shri Krishan Kumar Agrawal R/o RDC-57, Raj Nagar, Ghaziabad Settler and Chairman of Shri Krishna Kumar Charitable Trust Registered office at F18 Yamuna Puram Bulandshahr do hereby given my consent for the above said amendment and addition in the Original trust deed.

5191
15.10.2018 की 5y → 5187

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं०-71/377
जज रजि० आफिस, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 183406

In Withness Whereof The Settlor Has hereunto set his hands on the

5192
15.10.2018 को 59 = 5187

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं०-71/277
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

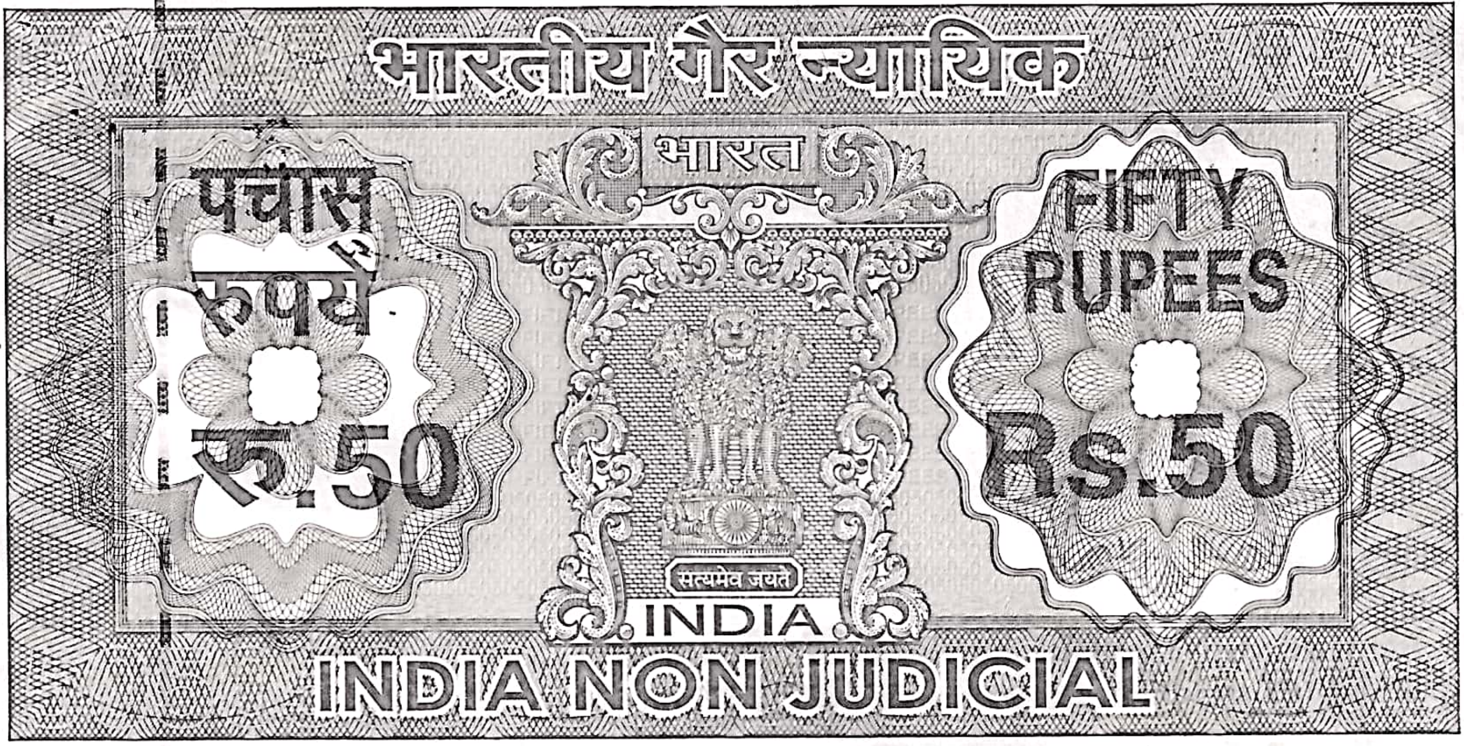

उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH** BT 183407

16th day, October 2018 above written.

Witness 1
Prem Prakash Sharma S/o Ved Prakash Sharma
R/o D 19, Yamuna Puram, Nagar Bulandshahr.
Aadhar Card No.- 6429 3139 2449
Mobile No.-8218674142.

Witness 2
Ankit S/o Amar Pal
R/o Kazipura, Distt. Bulandshahr.
Aadhar Card No.- 6327 2762 0994
Mobile No.- 9927190435

Date:-16-10-2018
Deed Writer- Deorishi Sharma, Licence No.-52, Registary Bulandshahr.
Type By-Hemant Kumar

5193
15.10.2018 को 54 ₹ 5183

संजीव कुमार
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं०-71/377
सब रजि० आफिस, बुलन्दशहर

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 295 के पृष्ठ 397 से 410 तक
क्रमांक 90 पर दिनाँक 16/10/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शची कुमारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
बुलन्दशहर
16/10/2018